सिविल अपील नं. ... [illegible]

फर्द अहकाम

रामलाल बनाम सुगनाराम

नाम न्यायालय

केस संख्या 181/12 अपील

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	20/1/25	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/1/25 को पेश हो।
	28/1/2025	पत्रावली प्रस्तुत। उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 7/2/2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	7/2/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.प.उप.। पुनरीक्षण वास्ते आदेश दिनांक 10/2/2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	10/2/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.प.उप.। तनकी संख्या 1 ता 3 वादी के विरुद्ध निर्णीत की जाती है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया [illegible] वादी खारिज किया जाता है। [illegible] होकर [illegible] शामिल [illegible] हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अंजु वर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या –181/2012 वाद प्रस्तुति दिनांक –06.09.2012

रामलाल पुत्र नाथूराम जाति जाट निवासी ग्राम मुण्डिया तहसील आमेर जिला जयपुर।

—— वादी

बनाम

1. सुणाराम (फौत)

1/1. लक्ष्मण पुत्र सूणाराम जाति जाट निवासी मुण्डिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

1/2. केसरी देवी पत्नी सूणाराम जाति जाट निवासी मुण्डिया तहसील आमेर, जिला जयपुर।

1/3. प्रेम पत्नी सागर पुत्री सूणाराम जाति जाट निवासी ग्राम दादिया तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

1/4. नन्छी पत्नी पोखर पुत्र सुणाराम जाति जाट निवासी ग्राम दादिया तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

2. प्रभात
3. सुलतान (दौराने कार्यवाही फौत)

3/1. रामा देवी पत्नी सुल्तान

3/2. राजकुमार पुत्र सुल्तान

3/3. जगदीश पुत्र सुल्तान

समस्त पि0 नाथू समस्त निवासी मुण्डिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

4. सांवरमल
5. सुरेश
   समस्त पि0 शोभाराम
6. ग्यारसी देवी पत्नी शोभाराम
7. ग्राम पंचायत दुर्गा का बास तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. उप पंजीयक आमेर जयपुर
9. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:47 IST
Reason: SelfAttested

—— प्रतिवादीगण

दावा उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम मुण्डिया पटवार हल्का अनोपपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाहोता, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि गत खसरा नंबर 17/4 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 18/4 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा, कुल 14 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी शोभा पुत्र नाथू के नाम क्रय की गई थी तथा भूमि खसरा नंबर 03, 04, 40, 52, 65, 66, 72, 73, 137, 205 में 1/2 हिस्सा का 1/4 हिस्सा नाथू पुत्र भूरा के नाम है, व खसरा नंबर 17/3 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा खसरा नंबर 18/4 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा की खातेदारी सुलतान पुत्र नाथू के नाम से क्रय की गई थी तथा खसरा नंबर 17/1 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा खसरा नंबर 18/1 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा कुल 2 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा यह भूमि प्रभात पुत्र नाथू के नाम से क्रय की गई थी तथा भूमि खसरा नंबर 14/11 रकबा 07 बीघा भूमि सुणा पुत्र नाथू के नाम से आवंटन करवायी गई थी व भूमि खसरा नंबर 14/10 रकबा 08 बीघा नाथू पुत्र भूरा जाट की खातेदारी में थी। वाद पत्र में यही भूमि विवादग्रस्त है। उक्त आराजीयात संयुक्त हिंदु परिवार की भूमि व संयुक्त हिंदु परिवार की संयुक्त आय व कर्ता नाथू पुत्र भूरा के द्वारा क्रय व आवंटन करवायी गयी आराजीयात है। वादी व प्रविवादीगण 1 लगायत 6 के स्वर्गीय पिता नाथू पुत्र भूरा द्वारा उपरोक्त विवादित आराजीयात स्वयं की आय से क्रय की थी तथा आवंटन भी स्वयं द्वारा काबिज भूमि की करवायी गई थी तथा वादी भूमि क्रय व आवंटन के समय नाबालिग होने से वादी के नाम भूमि नहीं करवायी गई थी, जबकि मृतक नाथू पुत्र भूरा की पांचों पुत्र संतान एक संयुक्त परिवार में निवास करते आ रहे थे, तथा जब नाथू पुत्र भूरा की वृदावस्था हुई तो समाज के प्रतिष्ठ वयक्तियों को एकत्रित कर अपनी व अपने संयुक्त व स्वयं की आय से क्रय व आवंटन करवायी गई भूमि बाबत् अपने पांचों पुत्र में से एक लिखित बंटवारा नामा दिनांक 03.06.1987 को किया गया है, जिसको इस वाद पत्र का अभिन्न माना जावें। बंटवारानामा के अनुसार अपने–अपने हिस्सा पर वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 काबिज होकर भूमि का उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं व निवास हेतु आवास पशुओं का ही बाडा व भूमि की सिंचाई हेतु अपने अपने हिस्सों में बोरिंग आदि का निर्माण किया जा चुका है। बंटवारा अनुसार वादी को भूमि खसरा नंबर 14/11 रकबा 7 बीघा जो प्रतिवादीगण 1 के नाम से थी तथा खसरा नंबर 14/10 रकबा 08 बिस्वा जो मृतक नाथू पुत्र भूरा के नाम थी व खसरा नंबर 18/1 जो प्रभात पुत्र नाथू के नाम से है, में से 4 बीघा भूमि वादी के हिस्से में दी गई, जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वाद पत्र में वर्णित आराजीयात के हाल साबिक खसरा नंबर प्रतिवादी नंबर 1 सुवा पुत्र नाथू खसरा नंबर 66 रकबा 01.57 हैक्टेयर, व प्रतिवादी संख्या 2 के हाल खसरा नंबर 106 रकबा 03.73 हैक्टेयर बने है, तथा मृतक नाथू पुत्र भूरा के गत खसरा नंबर 14/10 रकबा 08 बीघा पूर्व में विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया गया है। वाद पत्र में वर्णित आराजीयात

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:47 IST
Reason: SelfAttested

संयुक्त हिंदु परिवार की आय से क्रय व नियमन आवंटन करवायी गयी है, सूणा पुत्र नाथूराम बालिक होने से मृतक नाथू पुत्र भूरा ने इसके नाम भूमि स्वयं के कब्जे काश्त की थी, जिससे आवंटन करवायी है, तथा प्रभात पुत्र नाथू को 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्व. नाथू पुत्र भूरा ने स्वयं के रूपयों से क्रय क रनाम करवायी है, इस प्रकार यह भूमि पैतृक भूमि है, जिस समय वादी नाबालिग होने से भूमि वादी के नाम नहीं लग सकी। जिसके बाबत वादी के पिता द्वारा वाद पत्र के संलग्न बंटवारानामा समस्त पुत्रों के समक्ष तस्दीक किया है, तथा वादी को यह अधिकार प्राप्त है कि वो वाद पत्र में वर्णित भूमि जिसका विवरण वाद पत्र के मद नंबर 7 में दिया गया है। कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा स्वयं के नाम करवाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसलिए वादी द्वारा यह बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वादी व प्रतिवादीगण के पिता नाथू पुत्र भूरा के जीवनकाल में ही नाथू द्वारा स्वयं के नाम व स्वयं की पैतृक संपत्ति की आय से क्रय की गयी भूमि व आवंटित भूमि का बंटवारानामा दिनांक 03.06.1987 को सभी पुत्रों की सहमति से किया गया है, तथा बंटवारेनामे के दिन पिता व उनके पांच पुत्रों एक ही संयुक्त परिवार में रहते थे, जिसका कर्ता खानदान स्व. नाथू था तथा रामलाल नाबालिग होने से नाथू ने रामलाल के नाम कोई भूमि नहीं करवायी। क्योंकि कानूनन नाबालिग के नाम कोई संपत्ति नहीं होती है, परंतु स्वयं के जीवनकाल में ही नाथू द्वारा पारिवारिक समझौता किया गया है, जिसके अनुसार वादी व अन्य प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के ओर से दिनांक 31.08.2015 को जवाब दावा पेश हुआ।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से जवाब दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाद पत्र में वर्णित सजरा खानदान जिस तरह से बताया गया है स्वीकार नहीं है। वादी द्वारा केवल अपने भाईयों का नाम अंकित किया है वादी द्वारा जानबूझकर अपनी बहन नाना देवी का नाम अंकित नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने वादपत्र की सभी मद संख्या में वर्णित तथ्यों को झूठा व मनगढंत बताया। वाद पत्र माननीय न्यायालय [illegible] है। वादी द्वारा एक कथित अपंजीकृत इकरारनामा/बंटवारानामा दिनांक 03.06.1987 के आधार पर माननीय न्यायालय से घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है जबकि कानूनन अपंजीकृत कथित इकरारनामा 03.06.1987 के आधार पर किसी प्रकार की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। कथित अपंजीकृत इकरारनामे से संबंधित किसी भी प्रकार कोई वाद के संबंध में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है जो आदेश 7 नियम 11 (घ) के आधार पर कि वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद विधि द्वारा वर्जित है तो वाद

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर
Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:47 IST
Reason: SelfAttested

पत्र को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया जा सकता है। इस प्रकार उक्त वाद पत्र कथित अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 03.06.1987 के आधार पर होने के कारण वाद विधि द्वारा वर्जित है एवं ऐसे वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः इसी आधार पर वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा एक वादपत्र संख्या 100/2012 रामलाल बनाम प्रभात वगैरह प्रस्तुत किया था जिसमें उक्त वादपत्र में खसरा नंबर 106 रकबा 3.73 हैक्टेयर के संबंध में तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा वादी रामलाल द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी करके तहसीदार महोदय आमेर से कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई गई। माननीय न्यायालय ने दिनांक 23.08.2013 को तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार करके दावा अंतिम डिक्री कर दिया गया। उक्त डिक्री दिनांक 23.08.2013 से वादी रामलाल भी सहमत रहा है। माननीय न्यायायल द्वारा वादी रामलाल को विभाजन में खसरा नंबर 106/1 रकबा 0.50 हैक्टेयर दिया गया तो प्रभात को खसरा नंबर 106/2 रकबा 3.23 हैक्टेयर दिया गया। इस प्रकार एक ही खसरा नंबर के 3.23 हैक्टेयर दिया गया। इस प्रकार एक ही खसरा नंबर के संबंध में यदि माननीय न्यायालय द्वारा कोई फैसला कर दिया गया है तो उसी खसरा नंबर के संबंध में किसी प्रकार का कोई वादपत्र न्यायहित में उचित नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि को अपनी स्वअर्जित आय से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की थी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण तहरीर व तस्दीक होकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 रिकॉर्डेड खातेदार, काश्तकार है। अतः वाद पत्र खारिज करने योग्य है। वादपत्र व जवाब दावा के अनुसार तनकीयात कायम की गईं।

तनकी–1

आया वादी को अधिकार है कि हाल खसरा नंबर 66 रकबा 1.57 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 306 रकबा 3.73 हैक्टेयर की खातेदारी घोषित करावें।

— वादी

तनकी–2

आया प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद की जावें कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें।

—वादी

तनकी–3

Signature Not Verified

आया अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 06.06.1987 [illegible] पर न्यायालय से घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है जिसके आधार [illegible] स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार इस न्यायायल को नहीं है।

Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

— प्रतिवादीगण 1 लगायत 6

तनकी–4

आया वाद पत्र में मिथ्या एवं मनगढंत तथ्य अंकित किए गए है जिससे वाद खारिज योग्य है।

— प्रतिवादीगण 1 लगायत 6

तनकी–5

आया प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा विवादित भूमि को स्वअर्जित आय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया है तथा रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हें कानूनी रूप से पाबंद नहीं किया जा सकता है।

— प्रतिवादीगण 1 लगायत 6

तनकी–6

आया विवादित भूमि संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं है ना ही किसी प्रकार का बंटवारा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुआ है। वादपत्र खारिज योग्य है।

— प्रतिवादीगण 1 लगायत 6

तदुपरान्त साक्ष्य वादीगण हेतु वादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया।

1. PW1 रामलाल पुत्र नाथू जाति जाट निवासी मुण्डिया जिला जयपुर
2. PW2 कालूराम पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी ग्राम रणजीतपुरा तह. चौमू, जयपुर

वादी की ओर से वाद पत्र के साथ नकल विक्रय पत्र कार्यालय उप पंजियक दिनांक 17.03.1986 (प्रदर्श 1), नकल विक्रय पत्र कार्यालय उप पंजियक दिनांक 17.03.1986 (प्रदर्श 2), नकल विक्रय पत्र कार्यालय उप पंजियक दिनांक 17.03.1986 (प्रदर्श 3), इकरारनामा दिनांक 03.06.1987 (प्रदर्श 4), नकल वसीयतनामा दिनांक 9.02.2001 (प्रदर्श 5), जमाबंदी संवत 2047–2077 खसरा 66 (प्रदर्श 7), जमाबंदी संवत 2047–2077 खसरा नम्बर 76, 77, 78, 79, 80 (प्रदर्श 8), जमाबंदी संवत 2047–2077 खसरा 107, 108, 109 (प्रदर्श 9), जमाबंदी संवत 2047–2077 खसरा 106/2 (प्रदर्श 10), जमाबंदी संवत 2047–2077 खसरा 106/1 (प्रदर्श 11), जमाबंदी संवत 2047–2077 खाता संख्या 26 (प्रदर्श 12),

साक्ष्य प्रतिवादीगण हेतु प्रतिवादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया।

1. DW1 सुल्तान पुत्र स्व. नाथू निवासी मुण्डिया [illegible] आमेर, जिला जयपुर।
2. DW2 राजकुमार पुत्र श्री सु[illegible] तह. आमेर, जयपुर
3. DW3 लक्ष्मण पुत्र स्व. सुणाराम जाति जाट निवासी मुण्डिया तह. आमेर, जयपुर
4. DW4 जगदीश पुत्र श्री सुल्तान जाति जाट निवासी ग्राम मुण्डिया तह. आमेर जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:47 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान उभयपक्ष की बहस सुनी गई। जिन्होंने मुख्य रूप से उन्हीं तथ्यों का वर्णन किया जो वादपत्र एवं जवाबदावा में अंकित किये गये है। फलस्वरूप तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

तनकी–1

आया वादी को अधिकार है कि हाल खसरा नंबर 66 रकबा 1.57 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 306 रकबा 3.73 हैक्टेयर की खातेदारी घोषित करावें।

—— वादी

तनकी–2

आया प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद की जावें कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें।

——वादी

तनकी संख्या 1 व 2 सुविधा की दृष्टि से एक साथ निर्णित की जाती है। तनकी संख्या 1 व 2 को न्यायालय के समक्ष साबित करने का भार वादीगण पर है। इसके सन्दर्भ में वादीगण द्वारा वाद पत्र में यह वर्णित किया गया है कि उक्त आराजीयात संयुक्त हिंदु परिवार की भूमि व संयुक्त हिंदु परिवार की संयुक्त आय व कर्ता नाथू पुत्र भूरा के द्वारा क्रय व आवंटन करवायी गयी आराजीयात है। वादी व प्रविवादीगण 1 लगायत 6 के स्वर्गीय पिता नाथू पुत्र भूरा द्वारा उपरोक्त विवादित आराजीयात स्वयं की आय से क्रय की थी तथा आवंटन भी स्वयं द्वारा काबिज भूमि की करवायी गई थी तथा वादी भूमि क्रय व आवंटन के समय नाबालिग होने से वादी के नाम भूमि नहीं करवायी गई थी, जबकि मृतक नाथू पुत्र भूरा की पांचों पुत्र संतान एक संयुक्त परिवार में निवास करते आ रहे थे, तथा जब नाथू पुत्र भूरा की वृदावस्था हुई तो समाज के प्रतिष्ठ वयक्तियों को एकत्रित कर अपनी व अपने संयुक्त व स्वयं की आय से क्रय व आवंटन करवायी गई भूमि बाबत् अपने पांचों पुत्र में से एक लिखित बंटवारा नामा दिनांक 03.06.1987 को किया गया है, बंटवारानामा के अनुसार अपने–अपने हिस्सा पर वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 काबिज होकर भूमि का उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं व निवास हेतु आवास पशुओं का ही बाडा व भूमि की सिंचाई हेतु अपने अपने पैसों से बोरिंग आदि का निर्माण किया जा चुका है। बंटवारा अनुसार वादी को खसरा नंबर 14/11 रकबा 7 बीघा जो प्रतिवादीगण 1 के नाम से थी व खसरा नंबर 14/10 रकबा 08 बिस्वा जो मृतक नाथू पुत्र भूरा के नाम थी व खसरा नंबर 18/1 जो प्रभात पुत्र नाथू के नाम से है, में से 4 बीघा भूमि वादी के हिस्से में दी गई, जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वाद पत्र में वर्णित आराजीयात के हाल साबिक खसरा नंबर प्रतिवादी नंबर 1 सुवा पुत्र नाथू

सहायक कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:47 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नंबर 66 रकबा 01.57 हैक्टेयर, व प्रतिवादी संख्या 2 के हाल खसरा नंबर 106 रकबा 03.73 हैक्टेयर बने है, तथा मृतक नाथू पुत्र भूरा के गत खसरा नंबर 14/10 रकबा 08 बीघा पूर्व में विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया गया है। वाद पत्र में वर्णित आराजीयात संयुक्त हिंदु परिवार की आय से क्रय व नियमन आवंटन करवायी गयी है, सूणा पुत्र नाथूराम बालिक होने से मृतक नाथू पुत्र भूरा ने इसके नाम भूमि स्वयं के कब्जे काश्त की थी, जिससे आवंटन करवायी है, तथा प्रभात पुत्र नाथू को 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्व. नाथू पुत्र भूरा ने स्वयं के रूपयों से क्रय क रनाम करवायी है, इस प्रकार यह भूमि पैतृक भूमि है, जिस समय वादी नाबालिग होने से भूमि वादी के नाम नहीं लग सकी। जिसके बाबत वादी के पिता द्वारा वाद पत्र के संलग्न बंटवारानामा समस्त पुत्रों के समक्ष तस्दीक किया है, उक्त के संबंध में नकल विक्रय पत्र कार्यालय उप पंजियक दिनांक 17.03.1986 (प्रदर्श 1), नकल विक्रय पत्र कार्यालय उप पंजियक दिनांक 17.03.1986 (प्रदर्श 2), नकल विक्रय पत्र कार्यालय उप पंजियक दिनांक 17.03.1986 (प्रदर्श 3), इकरारनामा दिनांक 03.06.1987 (प्रदर्श 4), नकल वसीयतनामा दिनांक 9.02.2001 (प्रदर्श 5), जमाबंदी संवत 2047–2077 खसरा 66 (प्रदर्श 7), जमाबंदी संवत 2047–2077 खसरा नम्बर 76, 77, 78, 79, 80 (प्रदर्श 8), जमाबंदी संवत 2047–2077 खसरा 107, 108, 109 (प्रदर्श 9), जमाबंदी संवत 2047–2077 खसरा 106/2 (प्रदर्श 10), जमाबंदी संवत 2047–2077 खसरा 106/1 (प्रदर्श 11), जमाबंदी संवत 2047–2077 खाता संख्या 26 (प्रदर्श 12) दस्तावेजात प्रदर्शित एवं गवाह PW1 रामलाल, PW2 कालूराम पत्रु रामलाल के बयान पेश किये।

वादी द्वारा अपंजीकृत बंटवारनामा दिनांक 03.06.1987 के आधार पर घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है जबकि दिनांक 03.06.1987 को (प्रदर्श 4) एक इकरारनामा संबोधित किया गया है ना कि बंटवारानामा। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 03.06.1987 जोकि अपंजीकृत है जबकि कानूनन अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर घोषणा नहीं की जा सकती। जैसा की न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी.2012(1) पेज नम्बर 332, आर.आर.सी. 2004 पेज नम्बर 315, आर.आर.टी. 2006–7 (Supp) पेज नम्बर 672. इसके अतिरिक्त न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2013 (2) पेज नम्बर 1164 में कहां गया है कि

सहायक कलक्टर
बानसूर, कोटपुतली-बहरोड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:47 IST
Reason: SelfAttested

अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर अधिकार उत्पन्न नहीं होते। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा अन्य एक वादपत्र संख्या 100/2012 रामलाल बनाम प्रभात वगैरह प्रस्तुत किया था जिसमें खसरा नंवर 106 रकवा 3.73 हैक्टेयर के संबंध में तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था जिसका अंतिम बंटवारा दिनांक 23.08.2013 निर्णय होने पर वादी रामलाल भी सहमत रहा है वादी रामलाल को विभाजन में खसरा नंवर 106/1 रकवा 0.50 हैक्टेयर दिया गया तो प्रभात को खसरा नंवर 106/2 रकवा 3.23 हैक्टेयर दिया गया। इस प्रकार एक ही खसरा नंवर के 3.23 हैक्टेयर दिया गया। इस प्रकार एक ही खसरा नंवर के संबंध में निर्णय किया जा चुका है तो उसी खसरा नंवर के संबंध में वादपत्र प्रस्तुत करना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त वादी की ओर से स्वयं का शपथ PW1 ,गवाह PW2 कालूराम पुत्र रामदेव ने अपने बयानो से किसी प्रकार से तनकी साबित नहीं की है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी को स्वयं का वाद सिद्ध करना आवश्यक होता है। उपरोक्त विवेचन से वादीगण तनकी 01 व 02 को साबित करने में असफल रहे हैं। अतः तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के विरूद्ध में निर्णित की जाती है।

तनकी–3

आया अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 06.06.1987 के आधार पर न्यायालय से घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है जिसके आधार पर घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार इस न्यायायल को नहीं है

— प्रतिवादीगण 1 लगायत 6

तनकी–4

आया वाद पत्र में मिथ्या एवं मनगढंत तथ्य अंकित किए गए है जिससे वाद खारिज योग्य है।

— प्रतिवादीगण 1 लगायत 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:47 IST
Reason: SelfAttested

तनकी–5

आया प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा विवादित भूमि को स्वअर्जित आय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया है तथा रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हें कानूनी रूप से पावंद नहीं किया जा सकता है।

सहायक कलक्टर

— प्रतिवादीगण 1 लगायत 6

तनकी–6

आया विवादित भूमि संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं है ना ही किसी प्रकार का बंटवारा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुआ है। वादपत्र खारिज योग्य है।

—— प्रतिवादीगण 1 लगायत 6

तनकी संख्या 3, 4, 5, 6 सुविधा की दृष्टिगत एक साथ निर्णित की जा रही है। तनकी संख्या 3, 4, 5, 6 को न्यायालय के समक्ष साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रस्तुत इकरारनाम अपंजीकृत है। तथा अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर खातेदारी की घोषणा नही की जा सकती है जैसा की न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी.2012(1) पेज नम्बर 332, आर.आर.सी. 2004 पेज नम्बर 315, आर.आर.टी. 2006–7 (Supp) पेज नम्बर 672. इसके अतिरिक्त न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2013 (2) पेज नम्बर 1164 में कहां गया है कि अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर अधिकार उत्पन्न नहीं होते। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर कय की थी जो कि प्रदर्श –1, ए–2, ए–3 विकय पत्रो से साबित है। इस प्रकार विक्रय पत्रो में की गई इबारत से यह बखूबी स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण के हक में हुए विक्रयपत्र के बाबत् प्रतिवादीगण ने अपने बयान में अभिवचनों को स्वीकार किया है तथा उक्त विक्रय पत्र को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में चेलेन्ज नहीं किया है। इसप्रकार उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र कानूनी रूप से प्रभावी है जबतक सक्षम न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र को गलत नहीं ठहरा दिया जाता जब तक न्यायिक अवधारणा उसे सही एवं वास्तविक माना जावेगा"। उक्त तनकीया प्रतिवादीगण ने बखुबी साबित किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथा तनकी संख्या 1 एवं 2 वादी के विरूद्व साबित होने पर तनकी संख्या 3, 4, 5, 6 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

निर्णय

तनकी संख्या 01 लगायत 02 में पारित निष्कर्ष के आधार पर वादीगण अपने वाद को साबित करने में असमर्थ रहे हैं तथा वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाकर तदनुसार डिकी जारी की जाये। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

प्रकरण संख्या – 181/2012
बउनवानी – रामलाल बनाम सूणाराम वगै0
निर्णय दिनांक :– 10.02.2025

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारीः अंजु वर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या –181/2012 वाद प्रस्तुति दिनांक –06.09.2012

रामलाल पुत्र नाथूराम जाति जाट निवासी ग्राम मुण्डिया तहसील आमेर जिला जयपुर।

—— वादी

बनाम

1. सुणाराम (फौत)

1/1. लक्ष्मण पुत्र सूणाराम जाति जाट निवासी मुण्डिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

1/2. केसरी देवी पत्नी सूणाराम जाति जाट निवासी मुण्डिया तहसील आमेर, जिला जयपुर।

1/3. प्रेम पत्नी सागर पुत्री सूणाराम जाति जाट निवासी ग्राम दादिया तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

1/4. नन्छी पत्नी पोखर पुत्र सुणाराम जाति जाट निवासी ग्राम दादिया तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

2. प्रभात
3. सुलतान (दौराने कार्यवाही फौत)

3/1. रामा देवी पत्नी सुल्तान

3/2. राजकुमार पुत्र सुल्तान

3/3. जगदीश पुत्र सुल्तान

समस्त पि0 नाथू समस्त निवासी मुण्डिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

4. सांवरमल
5. सुरेश
   समस्त पि0 शोभाराम
6. ग्यारसी देवी पत्नी शोभाराम
7. ग्राम पंचायत दुर्गा का बास तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. उप पंजीयक आमेर जयपुर।
9. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

—— प्रतिवादीगण

प्रकरण संख्या – 181/2012
बउनवानी – रामलाल बनाम सूणाराम वगै0
निर्णय दिनांक :– 10.02.2025

दावा उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तनकी संख्या 01 लगायत 02 में पारित निष्कर्ष के आधार पर वादीगण अपने वाद को साबित करने में असमर्थ रहे हैं तथा वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 10.02.2025 को जारी किया ।

दस्तखत——

ओहदा——

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:47 IST
Reason: SelfAttested